

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
स०८डी०(बजट आबंटन-2225)13-20/2018- 18

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक ।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी  
जमुई ।

पटना, दिनांक 25.06.18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-44 के मुख्य शीर्ष "2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण- 001-निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-0001.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिपत्र कोड सं० 44-2225010010001 के अन्तर्गत कुल ₹ 13,06,415/- (तेरह लाख छः हजार चार सौ पंद्रह ₹०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के स्थापना पर होने वाले व्यय के लिए विभागीय आवंटनादेश संख्या 06 दिनांक 16/05/2018 द्वारा आवंटन दिया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 775 दिनांक 18.06.2018 के द्वारा श्री शैलेश कुमार जयसवाल, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जमुई की पत्नी श्री दुर्गा कुमार के Carcinoma Left Breast (Breast Cancer) रोग की चिकित्सा पर व्यय की गई राशि कुल ₹ 13,06,415/- (तेरह लाख छः हजार चार सौ पंद्रह ₹०) मात्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1385 दिनांक 14/06/2018 द्वारा प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में कुल ₹13,06,415/- (तेरह लाख छः हजार चार सौ पंद्रह ₹०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

2- कुल भारत व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-44 के आय-व्यय शीर्ष "2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण-001-निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- 0001.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिपत्र कोड सं० 44-2225010010001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- जिला स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे ।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे । जिला कल्याण पदा०, मधुबनी, प्रत्येक माह व्यय विवरणी टी०भी० नम्बर/तिथि के साथ अगले माह की 10वी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक ।

54-

ज्ञापांक- स08डी0(बजट आबंटन-2225)13-20/2018- 18 पटना, दिनांक 25.06.18

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

*[Handwritten Signature]*  
निदेशक 25/6/18

ज्ञापांक- स08डी0(बजट आबंटन-2225)13-20/2018- 18 पटना, दिनांक 25.06.18

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त मुगेंर / प्रमंडलीय उप निदेशक, मुगेंर / जिला पदाधिकारी, जमुई । आई0टी0मैनेजरबजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

*[Handwritten Signature]*  
निदेशक 25/6/18

allotment of field staff-2014-15

W+